इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपन्न

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021--- कार्तिक 7, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्रमांक 2097-डूडा-2021.—एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, सागर जिले की गढ़ाकोटा ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् गढ़ाकोटा की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची-1 में दर्शित सिम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि इसमें अंतिविष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त या सुझाव रखता है तो इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त/सुझाव कलेक्टर, कार्यालय, सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरान्त किसी भी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी:—

अनुसूची—एक नगरपालिका परिषद् गढ़ाकोटा की सीमाओं से सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगाः—

	सम्मिलित ग्राम	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल
		(हेक्टेयर में)
(2)	(3)	(4)
मगरधा	अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा	395.70
बेलई	भौरदहार, मझगुवां	297.05
संजरा	रनगुवां	749.09
बसारी	बसारी	511.61
बरखेरा गौतम	हिनौता	278.20
	मगरधा बेलई संजरा बसारी	मगरधा अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा बेलई भौरदहार, मझगुवां संजरा रनगुवां बसारी बसारी

अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात्, गढ़ाकोटा नगरपालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:—

उत्तर दिशा—अनगरीय क्षेत्र मगरधा, ग्राम मगरधा एवं बसारी. पूर्व दिशा—अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा. दक्षिण दिशा—रनगुवां. पश्चिम दिशा—हिनौता.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 28th October 2021

No. 2097-DUDA-2021.—Hereby exercising the powers conferred for Section5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No.37 of 1961), the hereby signify their intention to the limit of Nagar Palika Parishad Garhakota Distt. Sagar include the village is defined in Schedule an below. Any authority are inhabitant of the Scheduled-1 are may submit his objection or suggestion in writing on Collector, distt. Sagar with in 15 days from the date of primary publication for this Notification for the consider as per rule and authority take such objection or suggestion in to consideration:—

SCHEDULE-1

The area of village included from the limits of Nagar Palika Garhakota will be as follows:—

S. N o. (1)	Name of Village (2)	Including Village (3)	Detail of Area (in Hectare) (4)
1	Magardha	Non-Urban Area Magardha, Village Magardh	a 395.70
2	Belai	Bhordahar, Majhguwan	297.05
3	Sanjra	Ranguwan	749.09
4	Basari	Basari	511.61
5	Barkhera Goutam	Hinota	278.20

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Garhakota, after including the area in Schedule-1:—

North direction-Non-Urban Area Magardha, Village Magardha and Basari.

East direction—Magardha, non-urban area and Village Magardha.

South direction—Ranguwan.

West direction—Hinota.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DEEPAK ARYA, Collector.